

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26102026-277424  
SG-DL-E-26102026-277424असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |                                                    |                         |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| सं. 320] | दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948 | [रा.रा.क्षे.दि. सं. 264 |
| No. 320] | DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948    | [N. C. T. D. No. 264    |

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (पुलिस-II)  
अधिसूचना

दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2026

फा.सं. 2/1/88/गृ0पु0-II/पार्ट-I/ई-कार्यालय संख्या 280430/2172-2175.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है।

अब, इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा निर्देश देते हैं कि दिनांक 19/10/2026 से दिनांक 18/01/2027 की अवधि के दौरान, आयुक्त पुलिस, दिल्ली भी उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निरोधक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रमेश कुमार, उप-सचिव (गृह-III)

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. अनुभाग अधिकारी, समन्वय (सा0प्रशा0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली (अनुलिपि में) को हिंदी संस्करण सहित दिल्ली राजपत्र भाग-IV असाधारण में प्रकाशन हेतु।
2. उप-सचिव, (सुरक्षा), सुरक्षा प्रभाग, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक (कारागार), सेंट्रल जेल, तिहाड़, नई दिल्ली।
4. कानूनी सलाहकार, आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली, कक्ष संख्या 331-32, तृतीय तल, टावर-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली, पत्र संख्या 8811/एल ए-न्यायालय दिनांक 16/09/2026 के अनुसार।

### HOME (POLICE-II)

#### NOTIFICATION

Delhi, the 19th October, 2026

**F.No. 2/1/88/HP-II/Pt.-I/e-Office No.280430/2172-2175.**— Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period **19/10/2026 to 18/01/2027** the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of National Capital Territory of Delhi,

RAMESH KUMAR, Dy. Secy. (Home-III)

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Section Officer, Co-ordination (GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi (in duplicate) along with its Hindi version for publication in Delhi Gazette Part-IV Extraordinary.
2. The Deputy Secretary, (Security), Security Division, Government of India, Ministry of Home Affairs, NDCC Building, Jai Singh Road, New Delhi.
3. The D.G. (Prison), Central Jail, Tihar, New Delhi.
4. Legal Advisor to Commissioner of Police, PHQ, New Delhi, Room No. 331-32, 3<sup>rd</sup> Floor, Tower-II, Jai Singh Road, New Delhi w.r.t. the letter No 8811/L.A-Judl. Dated 16/09/2026.